तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांकः–19.05.23 **एकलपीठ** **डॉ महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः** श्री खुर्शीद अनवर, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी। विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही। _____ **–: आदेश :–** यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 व धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ द्वारा प्रकरण संख्या 38/2011 में अनुशंषित कार्यवाही निर्णय दिनांक 07–08–2012 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है। 2– संक्षिप्त में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, धरियावद ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय अति0जिला कलक्टर, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम हजारीगुडा तहसील धरियावद का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि उक्त आराजी पूर्व में खसरा नं0 149 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त नाली दर्ज थी। उक्त भूमि में से नामान्तरकरण संख्या 205 दिनांक 20–12–1978 से खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण को आवंटित कर दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है इसलिए प्रार्थना पत्र में अंकित स्थानांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभावशून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम हजारीगुडा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला–नाली दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। 3– अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ ने अपने निर्णय दिनांक 07–08–2012 के द्वारा तहसीलदार धरियावद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर प्रशनगत आराजी खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम हजारीगुडा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला–नाली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल को प्रेषित की है। 4– उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तपश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 5– हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। 6– विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका नम्बर 1536/03 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 1 से 4 की पालना में राजस्व अभिलेख में दर्शाये गये किस्म तालाब पेटा नदी, नाले, रास्ता की स्थिति वर्तमान में पुनः बहाल किये जाने का आदेश दिया है। प्रशनगत आराजी पूर्व में बिलानाम गैर काबिल काश्त नाली दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थीगण को नामां0 सं0 205 दिनांक 20–12–1978 के द्वारा नियमन/आवंटित हुई है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नालें, जालाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अंकित हस्तांतरण अवैध एवं प्रभावशून्य होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम हजारीगुडा तहसील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धरियावद जिला प्रतापगढ को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला–नाली दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। 7– हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 8– पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी मेवाड सेटलमेण्ट डिपार्टमेण्ट सम्वत् 2005 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम हजारीगुडा की आराजी खसरा नं0 149 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त नाली दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 128 में खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि रामा पिसरान हमेरा मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा पत्रावली पर नामान्तरकरण पंजिका संख्या 205 दिनांक 20–12–78 संलग्न है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी कि किस्म गै0मु0 नाला–नाली दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई। 9– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 नाला/नाली''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 10- इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 11- प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नदी/नाला–नाली** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः- All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly. 12- उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त **जिला कलक्टर, प्रतापगढ** द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। 13- परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 149/2 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम हजारीगुडा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नाला-नाली दर्ज करने के आदेश पारित किए जाते है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-08-2012 में विवादित आराजी 10 बिस्वा अंकित की गई है जबकि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से आराजी का 11 बिस्वा होना प्रतीत होता है। 14- इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	